न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 110 / 2022

1 मनोज कुमार पुत्र औंकारमल जाति ब्राहम्ण निवासी कासनी हाल निवासी वार्ड नम्बर 21 पी.बी. स्कूल के पास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती चन्द्रकलां पत्नी सरदार सिंह जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी वार्ड नम्बर 23 डालमियां बर्फ फैक्ट्री के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

2 श्रीमती अनोखी देवी पत्नी सुशील कुमार।

3 श्रीमती सुरेश देवी पत्नी दिनेश कुमार समस्तज जाति अहीर निवासीगण मेदाराम की ढ़ाणी तन कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

4 उषा पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

5 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ उनवानी श्रीमती चन्द्रकलां बनाम श्रीमती अनोखी देवी आदि मुकदमा नम्बर 12 / 2022 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 14.06.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल कुमार महला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 581 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे 12 फुट चौडे रास्ते की मांग की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपनी टीनेन्सी की भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 3.25 हैक्टेयर मे जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 2.83 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे रास्ता होना बताकर रास्ता की मांग की गयी है उक्त खसरा नम्बर 581 की पश्चिमी सीमा के सहारे कभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 का रास्ता नही रहा न ही उसका आवागमन रहा, न ही उक्त रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय मे नजरी नक्शा भी गलत प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 581 मे से कानूनन रास्ता लेने का कोई भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

अधिकार नही है न ही उसने धारा 251ए के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को साबित किया। न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 251ए के नोटिस अपीलांट अथवा अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्व जारी नही हुए न ही अपीलांट अथवा अन्य अनावेदकगण की तामील हुई विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 08.02.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी करने का उल्लेख है उसके बाद आगामी पेशी दिनांक 28.03.2022, 05.04.2022, 21.04.2022,26.05.2022 व दिनांक 07.07.2022 रखी गयी उक्त तमाम तारीख पेशीयों पर पीठासीन अधिकारी न्यायालय मे उपस्थित नही थे बल्कि रीडर द्वारा तारीख दी गई थी उक्त तारीख पेशियों पर कही भी उल्लेख नही किया गया कि अनावेदकगण की रजिस्ट्री से तलबी जारी हुई हो व रजिस्ट्री की रसीद पेश हुई हो अथवा आवेदिका द्वारा रजिस्टर्ड तलबाना पेश किया हो उक्त तमाम तथ्यो व आदेशिका से यह प्रमाणित है कि विचारण न्यायालय मे चले आवेदन पत्र के न तो नोटिस अपीलार्थी को जारी हुए व न ही अपीलार्थी की तामील हुई व न ही अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2022 को पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 07.07.2022 को वास्ते तलबी रखी गयी थी दिनांक 07.07.2022 से पूर्व ही विचारण न्यायालय मे दिनांक 14.06.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये व बिना सुनवाई के अवसर प्रदान किये व बिना तारीख पेशी की सूचना दिये ही बिना तारीख पेशी के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलाधीन आदेश देने से पूर्व विचारण न्यायालय को अपीलान्ट का जबाव लेना चाहिए था। पत्रावली मे भी रजिस्टर्ड तामील जारी करने का रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने का कोई भी उल्लेख नही है, नही ऐसा कोई दस्तावेज पेश हुआ। विवादित भूमि खसरा नम्बर 581 मे से कभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 का रास्ता नही रहा न इसमे आवागमन रहा, न ही रेस्पोडेंट संख्या 1 को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपनी टीनेन्सी की भूमि मे जाने के लिए वैकल्पिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
... अधिकारी

रास्ता खसरा नम्बर 579 व 530 मे से मौजूद है जो सबसे नजदीकी रास्ता है जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी टीनेन्सी की भूमि मे आती जाती है रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गलत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कानूनन उसे अपीलार्थी के विरूद्व धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र न तो लाने का अधिकार था व न ही उसका आवेदन पत्र पोषणीय था। विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेंट संख्या 5 लैण्ड होल्डर द्वारा कोई भी मौका रिपोर्ट नही बनायी गई जिसने मौका रिपोर्ट बनायी वह मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत नही थे नही अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय कोई कार्यवाही कर सकता था विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है इस प्रकार अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई अनाधिकृत रिपोर्ट निर्णय का आधार नही बन सकती। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व राजस्व मण्डल के परिपत्र की पालना नही की मौका रिपोर्ट से पूर्व न तो अपीलांट को नोटिस दिया गया न अपीलांट की मौजुदगी मे रिपोर्ट तैयार की गयी इस प्रकार निर्णय का आधार बनी मौका रिपोर्ट राजस्व मण्डल के परिपत्र के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही वोईड दस्तावेज की तारीफ मे आने के कारण अपीलांट के विरूद्व निर्णय का आधार नही बन सकती है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 403, आरआरटी 2023(2) पेज 1169 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्री करवाई गई हैं। रजिस्ट्री की रसीदें विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि तामील सम्यक नहीं है। स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। धारा 251 ए में समरी प्रोसिडिंगस होती है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)



की पालना की है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के नक्शें के अवलोकन से भी मौके पर आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का तथ्य प्रमाणित होता है। विचाराधीन निर्णय की पालना में राशि जमा कराई जा चुकी है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हैं। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों में समर्थन में आरआरटी 2019 (1)पेज 574 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक अपीलांट द्वारा उठाये गये सम्यक तामिल का प्रश्न है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्री करवाई गई हैं। रजिस्ट्री की रसीदें विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि तामील सम्यक नहीं है स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है धारा 251 ए में समरी प्रोसिडिंगस होती है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना की है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हैं। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के नक्शें के अवलोकन से भी मौके पर आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का तथ्य प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता लघुत्तम है। इस स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। विचाराधीन निर्णय की पालना में राशि जमा कराई जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर